

RR No. ३१८३

23-9-13

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक : 18 SEP 2013

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि
1	96 / 07	श्री दीपचन्द्र सैनी नर्स ग्रेड-प्रथम सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 118, गांधीनगर (4 / 138, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.8.2024
2	104 / 07	श्री हनुमान सिंह जाट सांखियकी निरीक्षक निदेशालय, पश्चपालन विभाग, जयपुर	4 / 20, गांधीनगर	31.7.2029
3	46 / 09	श्री अजय सिंह वाहन चालक एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	4-सी-1, बहुमंजिला गांधीनगर	30.9.2032
4	91 / 10	श्री मनोज कुमार सिंघल वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संसदीय सचिव (के) शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 37, गांधीनगर	31.7.2034
5	8 / 10	श्री प्रह्लाद सिंह रेडर राज्य परिवहन अपील न्यायाधीकरण जयपुर	4 / 42, गांधीनगर (4 / 28, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.9.2020
6	56 / 10	श्री रामफूल मीणा सहायक रेडियोग्राफर राजकीय चिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 40 गांधीनगर	31.8.2034
7	57 / 10	श्री मुकेश कुमार वैरवा वरिष्ठ लिपिक राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	4 / 51 गांधीनगर	31.3.2036
8	117 / 10	श्री लोकेश जैन वरिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रेस सलाहकार मुख्यमंत्री, जयपुर	4 / 64 गांधीनगर	30.11.2028
9	58 / 10	श्रीमती सुशीला घोषरी नर्स ग्रेड-गा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 94, गांधीनगर	31.10.2043
10	59 / 10	श्री रामकिशन जटिया कनिष्ठ लिपिक एडीजे फारस्ट ट्रैक-4, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	4 / 100 गांधीनगर	31.10.2025
11	61 / 10	श्री अनिल भारद्वाज कनिष्ठ लिपिक कार्यालय अ.ति. नहानिदेशक, पुलिस, ए. टी.एस. एवं एसओजी, जयपुर	4 / 105 गांधीनगर	30.9.2031
12	139 / 10	श्री अभिषेक कौशिक वरिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अधिकारिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 115 गांधीनगर	31.12.2034
13	62 / 10	श्री जितेन्द्र कुमार भीणा नर्स ग्रेड-गा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 129 गांधीनगर	31.3.2043
14	63 / 10	श्री जुगल किशोर जोशी टैलीप्रिंटर ऑपरेटर राजस्थान विद्यालय, जयपुर	4 / 140 गांधीनगर	31.5.2025
15	64 / 10	श्री पुष्करराज नर्स ग्रेड-गा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4 / 66, गांधीनगर	31.1.2041
16	146 / 10	श्री बुद्धिप्रकाश व्यास वरिष्ठ लिपिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4 / 177, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-990)	31.3.2029

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराये का अवधारण और बसूल नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार बसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनाक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. खेयं तथा पली/घच्छों के नाम से प्रदरशण रथान पर निजी आवास बन जाने / क्षय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. घैंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आदारा रिक्त कालावधि तक अगले आवंटन तक को लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा अनुज्ञाय ही तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किसाया भर्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को विज्ञाने का अनु करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आदेश प्रस्तुत करने के अव्यात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही प्रदरशणापेत रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई ख्याय/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्षय नहीं विद्या है।
  3. उपरोक्त के अतिरिक्त साज्य सरकार हस्त समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
  4. श्री अजय सिंह, बाहन चालक, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर के वेतन से कौमन सुविधा शुल्क के पेट राशि रुपये 150/- (अधिक एक सौ पचास रुपये मात्र) कटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

मेट इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.6.2013 को श्री विजय सिंह, वरिष्ठ लिपिक, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय को उनकी परियत संख्या 125/2010 के आधार पर आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/20, गोपीनगर का आवंटन निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राजस्थान की आज्ञा से,

मुख्यमान्त्रिक 18/9/13  
(मुख्यमान्त्रिक रामी)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आधरक चर्चावाही हतु ऐक्षित है :-

1. बिला कलंकटर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी रुचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अर्द्धालक, सावाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-१) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर।
8. सचिव, राज्य परिवहन अधीन न्यायाधिकरण, सारस्वान, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, राजकीय तिकित्सालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. सहायक सचिव, राज्य निवासिन आवास, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी (संस्थान शास्त्र), डिला पु. रोशन न्यायालय, जयपुर नगर, जयपुर।
12. अति. महानिदेशक, कार्यालय अति. महानिदेशक (पुलिस), एटीएस एवं एसओजी, जयपुर।
13. उप सचिव, राजस्थान विद्यानसामान, जयपुर।
14. नुस्खा लेखाधिकारी/क्रोशाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. कार्याधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रदक्षिण निदेशक, राजकाँड़ा प्रदक्षिण तल, धोलना नगर, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने का अम करावें।
17. अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक/जन रक्षा अभियन्ता विभाग लिंग, गोपीनगर, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गोपीनगर, जयपुर।
19. सम्बन्धित राज्याधीन। सम्बन्धित कर्मचारियों में क्रम संख्या १ एवं ५ पर दर्ज कर्मचारियों को भूल कर लेना है कि नवीन परिवर्तित आवासों के बब्जा लेने पूर्व में आवंटित आवासों को रिपत करें।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जयपुर।
21. सहित पत्रवाली।

मुख्यमान्त्रिक 18/9/13  
(मुख्यमान्त्रिक रामी)  
सहायक शासन सचिव